रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 01, 2017/वैशाख 11, 1939
No. 333]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 01, 2017/VAISAKHA 11, 1939

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

lk-dk-fu- 423¼v½-&केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उन प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा की गई थीं, दस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

जबकि उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 में, –

   (क) उपनियम (1) के परंतुक में, –

   (i) खण्ड (ii) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात –

   (ii) एंबर लाइट यदि किसी दिशा सूचक द्वारा प्रदर्शित की जाती है या टाप लाइट जिसका वायु पत्तनों, पत्तनों जैसे परिसरों के भीतर उन परिसरों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर जाए बिना चलने वाले यान पर उपयोग किया जाता है;

   (iii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

   (iv) खंड (v) का लोप किया जाएगा;

   (ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आर.टी.–11036/24/2017–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.kh मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 271(अ), तारीख 20.03.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

G.S.R. 423(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 397 (E), dated the 20th April, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of ten days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20th April, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 108,—

(a) in sub-rule (1), in the proviso,—

(i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or as top light used on vehicle for operating within the premises such as airports, ports, mines and project sites, without going outside the said premises on to public roads;"

(iii) clause (iii) shall be omitted;

(iv) clause (v) shall be omitted;

(b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), for the words "emergency duties and shall be specifically specified by State Governments", the words "such emergency and disaster management duties as may be specified by the Central Government" shall be substituted;

(d) sub-rules (5) and (6) shall be omitted.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended vide notification number G.S.R. 271(E), dated 21.03.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.01 22:11:35 +05'30'